

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-791 / 2009

संस्थित दिनांक-21.12.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

महेन्द्र उर्फ गांधी पिता मोहनसिंग सरौते, उम्र 29 वर्ष,

निवासी-ग्राम कटंगटोला, कुकर्ना, थाना गढ़ी,

जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-05/06/2014 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-28/11/2009 को समय 21:30 बजे ग्राम गढ़ी, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अशोक कुमार की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-28/11/2009 को रात 21:30 बजे मृतक अशोक मरावी अपने ड्राइवर के साथ स्वयं के ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 में ग्राम बिछिया से गिट्टी लेकर आया था, ट्रेक्टर चालक द्वारा गिट्टी खाली करने के लिए उक्त ट्रेक्टर को उपेक्षापूर्वक व लापरवाही से चलाकर रिवर्स करते समय पीछे खड़े अशोक मरावी को ठोस मार दिया गया, जिससे अशोक मरावी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना कारित कर आरोपी ट्रेक्टर चालक मौके से भाग गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता गुरुप्रसाद के द्वारा थाना गढ़ी में किये जाने पर पुलिस द्वारा मृतक अशोक मरावी की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-35/06 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-44/2009, धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त

कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. आरोपी को भा.द.वि. की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-28.11.2009 को समय 21:30 बजे ग्राम गढ़ी, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अशोक कुमार की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5. सूचनाकर्ता गुरुप्रसाद पटेल(अ.सा.2) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष ग्याहरवे माह की है, वह ग्राम गढ़ी में दुर्गावती चौक में रहता है, घटना के समय रात के लगभग 8:30 बजे वह खाना खाकर सामने निकला उसे ट्रेक्टर ट्राली के खाली होने की आवाज सुनाई दी उसके पश्चात् किसी व्यक्ति के चिखने की आवाज सुनाई दी, जिस व्यक्ति के चिखने की आवाज सुनाई दी थी वह ट्रेक्टर ट्राली के पीछे गिरा हुआ पड़ा था, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसका नाम अशोक था। मृतक अशोक को पहले से ही जानता था। वह दुर्घटना के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि उसने घटना घटित होते नहीं देखा था। ट्रेक्टर को ड्राइवर चला रहा था। घटना के समय रात का अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था कि ट्रेक्टर को कौन चला रहा था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ड्राइवर ट्रेक्टर को कैसे चला रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने घटना के संबंध में थाना गढ़ी में रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दर्ज करवाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष ट्रेक्टर की जप्ती की कार्यवाही की थी, तथा उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था और आरोपी की लापरवाही से मृतक अशोक की मृत्यु हुई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अंधेरा था और उसने आरोपी को उक्त वाहन चलाते हुए नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह

दुर्घटना के बाद पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी एवं सूचनाकर्ता के रूप में उसकी लिखायी गई रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य पेश नहीं की गई है। साक्षी ने उक्त घटना के समय आरोपी को कथित दुर्घटना कारित वाहन को चलाते हुए नहीं देखे जाने का कथन किया है, इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने का समर्थन अभियोजन मामले को प्राप्त नहीं होता है।

6. बलराज (अ.सा.1) का कहना है कि वह आरोपी को पहचानता है। आरोपी ग्राम कटंग टोला का रहने वाला है तथा ड्रायविंग का काम करता है। घटना लगभग एक साल पहले रात के करीब 8-9 बजे की है वह अपने घर के सामने था जो गुरु मेडिकल के सामने है, उस समय उसे ट्रेक्टर की आवाज सुनाई आयी तब वह दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचा और देखा की अशोक मरावी नीचे गिरा पड़ा था और उसकी छाती पर चोट थी। अशोक मरावी ट्रेक्टर से दबने के कारण गिर गया था। ट्रेक्टर आयरसर कम्पनी का था, घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को चला रहा था। साक्षी ने कथन किया है कि वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि किस कारण से उक्त दुर्घटना घटित हुई। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि ट्रेक्टर शायद रिवर्स होने के चक्कर में दुर्घटना हुई। उसी समय मेडिकल वाले भी घटना स्थल पर आ गये थे और बाकी लोग लोग भी आ गये थे अशोक को देखे और उसके बाद रिपोर्ट लिखाने थाने चले गये थे। पुलिस ने उसके समक्ष ट्रेक्टर को जप्ती प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने पक्ष विरोधी घोषित होने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को लापरवाही पूर्वक रिवर्स किया था, जिस कारण मृतक अशोक की मृत्यु हो गई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर के अंदर था तथा उसने मौके पर आरोपी को ट्रेक्टर चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन करते हुए अविश्वसनीय साक्ष्य पेश की है। साक्षी के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था या उसकी कथित लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुई।

7. भादूलाल मरावी (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को पहचानता है। घटना दिनांक-22/11/2009 को ग्राम गढ़ी की है, उसका लडका अशोक एवं ड्राईवर महेन्द्र खेती के काम से गढ़ी गये थे। गढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा उसे फोन किया गया और बोला कि गढ़ी चलो तब वह तथा उसका परिवार गढ़ी गये थे। घटना स्थल पर जाने पर उसे जानकारी मिली की उसके लडके का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई। उसने गुरुप्रसाद के घर में देखा कि

उसका लडका मृत पड़ा हुआ था। आरोपी महेन्द्र गाडी को चला रहा था। घटना होते उसने नहीं देखा था, किन्तु वहाँ उपस्थित लोगों ने उसे बताया था कि दुर्घटना डायवर की गलती से हुई थी। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेकर चले गये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा था, इसलिए यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को गाडी चलाते हुए नहीं देखा था और वह घटना स्थल पर पहुंचा था तब आरोपी वहाँ उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने केवल अनुश्रुत साक्षी के रूप में साक्ष्य पेश की है, जिसका महत्वपूर्ण रूप से समर्थन अभियोजन पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

8. मृतक अशोक के शव का परीक्षण करने वाले डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29/11/2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक धनराज कर्मांक-485 के द्वारा मृतक अशोक कुमार पिता भादूलाल के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा मृतक अशोक के शव का परीक्षण किया गया था। उसके मतानुसार मृतक अशोक की मृत्यु शाक विथ सिन्कपी(तत्काल मौत) जो कि हृदय एवं फेफड़े के फटने के कारण हुई थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी चिकित्सीय साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतक अशोक की मृत्यु दुर्घटना में आयी चोट के कारण हुई थी।

9. बिसनसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, वह उसके ही गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से गढ़ी में एक ट्रेक्टर, जिसका मालिक भादूलाल है जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही पुलिस द्वारा उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर किये थे। जप्ती के अन्य साक्षी श्रीराम सरौते (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना एक वर्ष पूर्व की है। उसके समक्ष आरोपी से कोई चीज जप्त नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से वाहन आईसर कम्पनी का ट्रेक्टर के कागजात एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया हो। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने पुलिस द्वारा की गई वाहन की जप्ती के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10. नसीम खान (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह ट्रक चालक है। उसके द्वारा कोई वाहन का परीक्षण नहीं किया गया था। आज से करीब ढाई-तीन साल पहले थाना गढ़ी में उसके ट्रक का टॉयर फटने से वह पेड़ से टकरा गया था, उस कारण वह थाना गया था तब उसके दोस्त का पैर टुटा था उस समय उससे हस्ताक्षर करवाये थे, वह सिर्फ इतना ही जानता है। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि उसने वाहन का परीक्षण कर वाहन परीक्षण रिपोर्ट दिया हो। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर थाने में हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11. अनुसंधानकर्ता बी.पी. दुबे (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.11.2009 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-44/09 के प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा विवेचना के दौरान गुरुप्रसाद की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटना स्थल से एक ट्रेक्टर क्रमांक-एम. पी.50/ए.1611 मय ट्राली के साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा मृतक अशोक कुमार के शव को शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श पी-9 सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा मृतक अशोक के शव का नक्शा पंचायतनामा पंचों की उपस्थिति में प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया था, जिस पर उसके तथा पंचों के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी गीता, बलराज, भादूलाल, गुरुप्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-11.12.2009 को आरोपी से आईसर कम्पनी का ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 के कागजात जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी के द्वारा चलाये जाते हुए देखे जाने के कथन नहीं किये हैं। प्रस्तुत साक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय मृतक अशोक की ट्रेक्टर दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना

कारित वाहन को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किये जाने और उसके परिणाम स्वरूप मृतक अशोक की मृत्यु कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता।

13. उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक अशोक कुमार की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1611 मय ट्राली व दस्तावेज के सुपुर्ददार भादूलाल पिता देवलाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है तथा जप्तशुदा ड्राईविंग लायसेंस आरोपी महेन्द्र कुमार को वापस किया जावे। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट